न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टि0ए0/2380/2001/करौली

1– ग्यारसा पुत्र मुकन्दी जाति जाटव } निवासी शेखपुरा, तहसील
2– हटेली पुत्र मुकन्दी जाति जाटव } टोडाभीम, जिला करौली।
3– श्रीमती हसन बाई पुत्री मुकन्दी पत्नि शिवलाल निवासी आंगरी पुरा कोटरा ढहर के पास, हिण्डौन सिटी, जिला करौली
4– मु0 सफेदी पुत्री मुकन्दी पत्नि शिवलाल निवासी आंगरी, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
5– श्रीमती मिश्री देवी } निवासी सबला का नंगला तहसील
6– श्रीमती सुशीला देवी } व जिला भरतपुर
7– कृपाली पिसरान लोहडे
8– मनोहरी पिसरान लोहडे
9– मु0 मुक्ताबाई बेवा लोहडे
10–मु0 केसर पुत्री लोहडे } समस्त जाति जाटव, निवासी टोडाभीम, जिला करौली।
11–काडू पुत्र पून्या
12–कुन्दन पुत्र पून्या

.....अपीलार्थी

बनाम

1– जयसिंह पुत्र ग्यारस्या – फौत
2– भोला पुत्र ग्यारसा
3– धनजी पुत्र छीतर
4– श्रीफूल पुत्र छीतर
5– घनश्याम पुत्र गोकुल
6– हरभजन पुत्र गोकुल
7– भगतराम पुत्र गोकुल } समस्त जाति मीना, निवासीगण आंखवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
8– केसन्ती पुत्री गोकुल
9– गंगाबाई पुत्री गोकुल
10–किस्तूरी पुत्री गोकुल
11–गुलबाई बेवा गोकुल

.....रैस्पो0

खण्ड–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री पंकज नरुका, सदस्य

उपस्थितः–
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
अप्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः –29–07–2019

हस्तगत अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 7/1999 शीर्षक ग्यारसा वगैरा बनाम जयसिंह

वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2001 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण–अपीलार्थीगण की ओर से उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी के न्यायालय में अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत इस्तकरार हक एवं हुक्म इम्तनाई दवामी का वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं और आराजी खसरा नम्बरान 423 व 408 वाके ग्राम आखाबाडा तहसील टोडाभीम वादीगण की ममलूका मकबूजा पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादी संख्या 1/1 लगायत 1/7 का हिस्सा 1/3 है, वादी नम्बर 2/1 लगायत 2/4 का 1/3 हिस्सा है, बाकी का हिस्सा वादी संख्या 3/12 व 3/2 का है। प्रतिवादीगण का इस आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है किन्तु वे जबरन वादीगण को बेदखल कर आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः दावा वादी डिक्री कर घोषणा की जाये कि प्रश्नगत आराजी वादीगण की ममलूका मकबूजा आराजी है, अन्य का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि प्रतिवादीगण ने कपटपूर्ण तरीके से रिकार्ड आफ राइट्स खसरा गिरदावरी में अपने नाम के अंकन करा लिये हैं तो बमुकाबले वादीगण नल एण्ड वौएड व प्रभावहीन हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करें। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आराजी वादीगण की ममलूका मकबूजा पुश्तैनी आराजी नहीं है, उक्त आराजी मौके पर दो भागों में विभक्त है जिसमें एक पर वादीगण का तथा एक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 408 के पश्चिमी 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का तथा खसरा नम्बर 423 के 1/2 भाग उत्तर की तरफ पर प्रतिवादी संख्या 4,5 का बजमाने बुजुर्गो से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के 1/2 भाग से वादीगण का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। दावा खारिज किया जाये। उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी ने निर्णय दिनांक 22–01–1999 से वादी के धारा 88 के वाद को खारिज किया और धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त के खसरा नम्बरान 949, 948, 921, 922, 923 में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जरिये पी0आई0 पाबन्द किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 06–02–2001 से अपील को खारिज किया गया। इसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुये अपने निर्णय पारित किये हैं जो कि निरस्त किए जाने योग्य हैं। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बरान 423 व 408 वाके ग्राम आखाबाडा वादीगण/अपीलार्थीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की ममलूका मकबूजा पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादी संख्या 1/1 लगायत 1/7 का हिस्सा 1/3 है, वादी नम्बर 2/1 लगायत 2/4 का 1/3 हिस्सा है, बाकी का हिस्सा वादी संख्या 3/12 व 3/2 का है। राजस्व रिकार्ड में गलत प्रकार से प्रतिवादीगण के नाम 1/2 के अंकन किये गये हैं जिन्हें दुरुस्त कराने हेतु ही वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया था। जो पूर्व का रिकार्ड हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें हम

खसरा नम्बर 408 के खातेदार दर्ज हैं, प्रतिवादीगण के पक्ष में 1/2 के अंकन किस आधार पर आये हैं, ये प्रतिवादीगण को साबित करना चाहिए था। बन्दोबस्त में गलत प्रकार से प्रतिवादीगण के नाम ये अंकन, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुये किए गए हैं जो कि निरस्त योग्य रहते हैं। पूर्व में वादी के पक्ष में 8–6–1953 को वाद डिक्री किया गया था और कब्जा वादीगण को प्राप्त हो चुका था। अतः वादीगण पी0आई0 का वाद लाने के लिए स्वतंत्र थे। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के, वाद की इजराय की सीमा 12 साल होना मानते हुये, अपीलार्थीगण का वाद अस्वीकार किया है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते समय आदेश 20 नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की है और ना ही अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें और वादीगण का वाद डिक्री किया जाये।

5– रैस्पो0 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।

6– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली व सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में स्पष्ट है कि वादीगण–अपीलार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 423 व 408 वाके ग्राम आखाबाडा को स्वयं की ममलूका मकबूजा पुश्तैनी आराजी बताते हुये प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरुद्ध धारा 88 व 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2029–32 में खसरा नम्बर 423 मुकन्दी, लोहडे, पून्या पि0 फैली के नाम अंकित है तथा खसरा नम्बर 408 की खातेदारी मुकन्दी, लोहडे, पून्या पि0 फैली चमार हिस्सा 1/2 और रामसिंह पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/2 मीना के नाम दर्ज हे। खसरा नम्बर 423 की वर्तमान में खातेदारी जमाबंदी सम्वत् 2053–56 के अनुसार ग्यारसा, हरेती पि0 मुकन्दी और लोहडे, पून्या पि0 फैलजी चमार के नाम से अंकित है। खसरा नम्बर 408 की खातेदारी जमाबंदी सम्वत् 2053–56 के अनुसार ग्यारसा, हरेती पि0 मुकन्दी, लोहडे, पून्या पि0 फैली चमार 1/2 के नाम से अंकित है। खसरा गिरदावरियों के अनुसार खसरा नम्बर 408 पर सम्वत् 2009, 2010 में प्रतिवादीगण, सम्वत् 2012 लगायत 2015 में वादीगण व प्रतिवादीगण, सम्वत् 20126 से 2018 में वादीगण व प्रतिवादी तथा सम्वत् 2031–33 मे ंवादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अंकित हैं। खसरा नम्बर 423 पर सम्वत् 2009 लगायत 2012 में प्रतिवादीगण के नाम, 2013 व 2014 में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम तथा 2015 में वादीगण के नाम व 2016 में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अंकित है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के पेज संख्या 5 में अंकित किया है कि 'कब्जे की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हमने दिनांक 17–1–1999 को पटवारी हल्का शेखपुरा के साथ विवादित भूमि का मौका देखा और खसरा गिरदावरियों व वर्तमान मौका रिपोर्ट से यह जाहिर हो जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के दिनांक व पूर्व से ही दोनों खसरा नम्बरान पर वादीगण व प्रतिवादीगण 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज हो कर काश्त करते आ रहे हैं।' इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रश्नगत आराजी पर आधा आधा

हिस्से पर कब्जा काश्त होने से ही वादीगण के अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत प्रस्तुत किए गए वाद को डिक्री किया है। यहॉ ये भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः उनके पक्ष में खातेदारी घोषणा का अनुतोष नहीं दिया गया है। चूॅकि प्रश्नगत आराजी पर 1/2 हिस्से पर पूर्व से ही प्रतिवादीगण बतौर खातेदार कृषक चले आ रहे हैं और वादीगण सम्पूर्ण आराजी पर अपने अधिकारों को साबित नहीं कर पाये हैं अतः वादीगण वादपत्र के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन कराने के अधिकारी नहीं रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विस्तार से विवेचन करते हुये वादीगण के धारा 88 के वाद को खारिज किया है और धारा 188 के वाद को विधिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी परीक्षण उपरान्त इस निर्णय को पुष्ट किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना आवश्यक व उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरुका)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य